

# कार्यालय: महाप्रबंधक, हरियाणा राज्य परिवहन, जींद

formnotice.com **विज्ञापित**

शिक्षुक अधिनियम, 1961 के अंतर्गत निम्नलिखित शिक्षुओं का चयन किया जाना है। चयनित शिक्षुओं को प्रशिक्षण अवधि एवं प्रशिक्षण भत्ता शिक्षुक अधिनियम 1961 के अनुसार देय होगा। शिक्षुओं का विवरण ट्रेडवाइज निम्न प्रकार से है:-

<b>General Painter =1</b>	<b>Welder =3</b>	<b>Carpenter =5</b>
<b>Diesel Mechanic =7</b>	<b>Motor Mechanic =8</b>	<b>Turner= 1</b>
<b>Fitter = 10</b>	<b>Electrician =8</b>	

इच्छुक उम्मीदवार अपना रजिस्ट्रेशन व आवेदन ऑनलाइन वेबसाइट ([apprenticeshipindia.org](http://apprenticeshipindia.org)) पर दिनांक 16.04.2021 से 23.04.2021 सायं 05.00 बजे तक apply कर सकते हैं। आवेदन के समय उम्मीदवार अपना फोटो, आधार नं., आई.डी. (केवल वोटर कार्ड, डी.एल., पासपोर्ट), मैट्रिक प्रमाण पत्र व आई.टी.आई. विभाग द्वारा जारी आई.टी.आई. पास का मूल प्रमाण पत्र (with marks) की अपलोड करें तथा ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड किए गए फार्मों को ही इस कार्यालय द्वारा डाउनलोड किया जाएगा। जिस उम्मीदवार द्वारा दिनांक 16.04.2021 से पहले या दिनांक 23.04.2021 के बाद online apply किया जाएगा उसका आवेदन स्वीकार नहीं होगा। सफल शिक्षुओं का चयन केवल मैरिटर आधार पर किया जाएगा। उम्मीदवार यह भी सुनिश्चित कर लें कि उस द्वारा पूर्व में किसी भी व्यवसाय (ट्रेड) में शिक्षुता ग्रहण नहीं की हो।

महाप्रबंधक

PRDH-1119/11/41/2022/2593/67/6

हरियाणा राज्य परिवहन, जींद